



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लडकी से दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के 03 अभियुक्तों को आजीवन (सश्रम) कारावास व ₹2,95,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 116/2007 धारा-452,376,506 भा०द०सं० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभि० 1.शम्भू कुशवाहा पुत्र गयाप्रसाद कुशवाहा नि० पतारा थाना कुरारा हमीरपुर 2.बबलू पुत्र विश्वनाथ नि० मकरांव थाना मौदहा हमीरपुर 3.भाग्यवली उर्फ अजयपाल पुत्र केदार प्रजापति नि० चन्द्रपुरवा थाना सुमेरपुर 4.गौरीशंकर साहू पुत्र रामाधीन साहू (मृतक) नि० चन्द्रपुरवा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को आजीवन (सश्रम) कारावास व ₹2,95,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ मौदहा श्री
ए०के० सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह